# बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 13 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 16.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 2.40 अपराह्न तक

1. आसन को सूचना

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने कंप्यूटर शिक्षकों के बहुत दिनों से चल रहे आमरण अनशन पर बैठे रहने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तथा अनुरोध किया कि सरकार इनसे बार्तालाप करके अनशन समाप्त करवाने की कार्रवाई करे। इसका अनेक माननीय सदस्यों ने समर्थन किया।

इसी प्रकार माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने अररिया में राजद प्रत्याशी की जीत पर राजद समर्थकों द्वारा लगाये गये नारों के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर राजद के माननीय सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की। सत्तापक्ष एवं विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप होने लगा। सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसपर अपनी राय व्यक्त की तथा देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह नियमन देने की कृपा की कि यह उच्च सदन

है, किसी पार्टी का यहां नाम नहीं लिया जा रहा है, यह देश का मामला है और देश हम सबका है। इसपर डिबेट नहीं होगा।

## 2. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी को छोड़कर राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में पोस्टर लहराते हुए आकर नारेबाजी करने लगे। आसन के अनुरोध पर कुछ समय के बाद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

पुन: इसपर आरोप-प्रत्यारोप आरंभ हो गया, जिसपर माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि मैंने कल भी आग्रह किया था कि उच्च सदन की गरिमा को हम सभी लोगों को बचाना है। इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उच्च सदन की गरिमा का ख्याल रखें। हर बात को संयमित ढंग से रखें, कोई अमर्यादित बातें न बोलें।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की टोका-टोकी या टिप्पणी सदन की कार्यवाही में नहीं आएगी। पुन: आसन से माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि सदन की मर्यादा का ख्याल रखें।

## 3. प्रश्नोत्तर काल

### अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 109 एवं 110 उत्तरित हुए।
कार्यक्रम पर अंकित शेष अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न अनागत हुए।

**आसन का नियमन**

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 109 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, सभी माननीय सदस्यों को बुलाकर और बैठाकर बात कर लीजिए और समस्या का समाधान कर दीजिए। माननीय सदस्यों से उन्होंने अनुरोध किया कि माननीय मंत्री कल आपको वार्ता के लिए बुला रहे हैं, वार्ता होगी, विमर्श होगा, निर्णय होगा। कल माननीय मंत्री ने आपलोगों को चाय पर बुलाया है।

इस बीच पुन: राजद के माननीय सदस्यों एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगने लगे। राजद के माननीय सदस्यगण उत्तेजित होकर सदन वेश्म में चले आए जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं। कांग्रेस के माननीय सदस्य, श्री राजेश राम भी अपने स्थान से नारे लगाते रहे। आसन ने राजद के माननीय सदस्यों को इस विषय को शून्यकाल में उठाने की सलाह दी परंतु आसन के अनुरोध के बावजूद माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते रहे। अंतत: सदन की कार्यवाही 2.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।

**(अंतराल)**

अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार सहित राजद के माननीय सदस्यगण बोलते हुए सदन वेश्म में चले आए। माननीय मंत्री, श्री विनोद नारायण झा ने इसपर आपत्ति व्यक्त किया। जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी खड़े होकर बोलती रहीं।

**4. ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम द्वारा राज्य में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत नियुक्त रसोईया सहायकों की सेवा स्थायी करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

   **आसन का नियमन**

   सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि लैब टेक्निशन की बहाली प्रक्रियाधीन है, यह माननीय मंत्री ने बताया। बहुत जल्दी बहाली हो जाएगी, नवल बाबू।

शिक्षा से संबंधित विषय पर उन्होंने कहा कि कल आप माननीय मंत्री के यहां जा रहे हैं, माननीय मंत्री से विमर्श कर लीजिएगा।

आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि सभी महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण हैं और कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से आए हैं, इसलिए माननीय मंत्रिगण ध्यानाकर्षणों के उत्तर सदन पटल पर दे दें।

2. माननीय सदस्य, श्री तनवीर अख्तर द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57(ए)(1) के संशोधन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा आर.एन.एम. बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा के नवनिर्मित 100 (एक सौ) शय्या वाले बालिका छात्रावास के संचालन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

4. माननीय सदस्य, श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा +2 घनश्याम उच्च विद्यालय, खगौल, पटना में संगीत शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती द्वारा सुपौल जिला के प्राथमिक विद्यालय, पृथ्वीपट्टी में नियुक्त शिक्षक श्री लक्ष्मण राम, पिता-स्व० सुकन राम को उपस्थिति दर्ज करने एवं शिक्षण कार्य करने देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

6. माननीय सदस्य, प्रो० नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में लैब तकनीशियन की नियुक्ति, आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने एवं प्रैक्टिकल की अनिवार्यता बहाल करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रो० संजय कुमार सिंह, दिलीप कुमार चौधरी, संजीव कुमार सिंह, देवेश चन्द्र ठाकुर, सूरज नन्दन प्रसाद, संजीव श्याम सिंह, मदन मोहन झा, केदार नाथ पाण्डेय एवं नीरज कुमार द्वारा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदान को समाप्त कर घाटानुदान का प्रावधान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद बर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. **ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य**

1. माननीय सदस्य, श्री बीरेन्द्र नारायण यादव के जे०पी० विश्वविद्यालय, छपरा में व्याप्त अराजकता दूर करने के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

2. माननीय सदस्य, डा० रामवचन राय के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बाजितपुर बुचौली, प्रखंड-जन्दाहा, जिला-वैशाली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

3. माननीय सदस्य, प्रो० नवल किशोर यादव के राज्य के नियोजित शिक्षकों एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश से नियुक्त शिक्षकों को न्यायोचित बेतन देने के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

4. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक-4593 दिनांक-18.08.2017 द्वारा कर्मियों की सेवा मुक्ति के पश्चात् शेष 248 कर्मियों की सेवा सामंजन के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

5. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी के राज्य के 429 संस्कृत विद्यालयों के सरकारीकरण से संबंधित गजट को वैधिक सक्षमता प्रदान करने के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

6. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह के मोतिहारी-सिल्लीगुड़ी मार्ग में अवैध बसों के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि माननीय सदस्य, किसी प्रश्न को उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए कार्य संचालन नियमावली में तरीका लिखा हुआ है। वे सही तरीके से प्रश्न उठायें तो सरकार निश्चित रूप से उत्तर देगी। परंतु यथावत् हंगामा जारी रहा। आसन द्वारा माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव का नाम बजट पर सामान्य वाद-विवाद के लिए पुकारा गया किन्तु सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।

(अंतराल)

अंतराल के बाद कार्यवाही आरंभ होते ही पुन: राजद के माननीय सदस्यों ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा नारेबाजी करते हुए सदन वेश्म में चले आए।

**6. निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सतीश कुमार
3. प्रो. संजय कुमार सिंह

4. श्री राजेश राम
5. श्री सोनेलाल मेहता
6. श्री राधाचरण साह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने अखबार की कतरन दिखाते हुए पढ़कर सुनाया, परंतु आसन के अनुरोध के बावजूद विपक्ष एवं सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होता रहा। अंतत: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19.3.2018 के 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।

**तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 19.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।**

16/3/2018

**(सुभीम शर्मा)**
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 478 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 16.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 16-3-18

**(प्रमोद कुमार)**
बरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।